




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education विद्यालय शिक्षा निदेशालय



Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

TO BE SUBSTITUTED WITH LETTER BEARING SAME NUMBER AND DATED 26.03.2024

सेवा में,

राज्य के सभी
जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,
जिला परियोजना समन्वयक,
खण्ड शिक्षा अधिकारी,
राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालयों के स्कूल मुखिया/प्रभारी एवं SMC के अध्यक्ष।

यादी क्रमांक:- 18/15-2022 ACD (15)

दिनांक:- 04.04.2024

विषय:- राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों (GMSSSS) तथा राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों (GMSPS) में आवेदन एवं दाखिला प्रक्रिया के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में जैसा कि आपको विदित है कि राज्य में चलाये जा रहे राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (GMSSSS), CBSE बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हैं अथवा इनकी सम्बद्धता CBSE से करवाई जानी है। इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके साथ-साथ महाग्रामों, कस्बों तथा शहरों में राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय (GMSPS) भी चलाये जा रहे हैं। उपरोक्त विद्यालयों में सत्र 2024-25 हेतु दाखिला प्रक्रिया आरम्भ की जानी है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय:-

(क) सीटों की संख्या:- प्रत्येक विद्यालय अपनी विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) की बैठक बुलाकर विद्यालय में उपलब्ध कमरों एवं अन्य ढांचागत सुविधाओं के मध्यनजर सीटों का निर्धारण करेंगे तथा जन अवलोकनार्थ रखेंगे। इन उपलब्ध सीटों पर ही दाखिला दिया जाएगा। SMC की पहली बैठक इसी सप्ताह आयोजित की जानी है।

(ख) कक्षाओं में दाखिला:- प्रत्येक विद्यालय द्वारा विद्यालय में उपलब्ध कमरों एवं अन्य ढांचागत सुविधाओं के मद्देनजर कक्षा छठी, नौवीं तथा ग्यारहवीं में भी दाखिले अन्य सभी कक्षाओं की तरह (कक्षा 1 के अतिरिक्त) केवल सीटें रिक्त होने की अवस्था में ही किये जाएंगे। इन कक्षाओं में नये दाखिलों हेतु शिक्षण माध्यम की कोई बाध्यता नहीं है, अतः नये अथवा पुराने छात्र-छात्राओं के दाखिले उनकी प्राथमिकता के आधार पर अंग्रेजी या हिन्दी किसी भी माध्यम में किये जा सकते हैं।

नोट:- कक्षा 11वीं में दाखिले के सन्दर्भ में विद्यालय में पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जानी है।

(ग) दोहरी पारी:- यदि विद्यालय को दोहरी पारी में संचालित करने की आवश्यकता होती है तो ऐसे में उन्हें अतिरिक्त सैक्शन बनाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(घ) कक्षावार सीटों की संख्या:-

कक्षा पहली से पांचवी	अधिकतम 30 विद्यार्थी प्रति सैक्शन
कक्षा छठी से आठवीं	अधिकतम 35 विद्यार्थी प्रति सैक्शन
कक्षा नौवीं से बारहवीं	अधिकतम 40 विद्यार्थी प्रति सैक्शन

2. राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय:-

(क) सीटों की संख्या:- पहली कक्षा में प्रत्येक सैक्शन में अधिकतम छात्र संख्या 30 है तथा केवल अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों को ही इस कक्षा में दाखिला मिलेगा। गत वर्ष की भांति इन विद्यालयों में कक्षा पहली में हिन्दी माध्यम का सैक्शन नहीं होगा। सीटों की संख्या विद्यालय में उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं, अध्यापकों की संख्या तथा CBSE Norms के अनुसार ही तय की जाए।

(ख) सैक्शन की संख्या:- सभी कक्षाओं में सैक्शनर्स (अनुभागों) की संख्या सम्बन्धित SMC द्वारा विद्यालय में उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं के मध्यनजर निर्धारित की जाएगी तथा ड्रा के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ग) दाखिला प्रक्रिया:- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(C) के तहत आरक्षण भी दिया जाना है जो निम्नानुसार है:-

Sr. No.	Category of Candidate in 12 (1)(C)	Seat Reserve (25%)	No. of Seats
1.	SC		03
2.	BC 'A'		02
3.	BC 'B'		01
a.	CWSN (दिव्यांग) अनाथ बच्चे/HIV प्रभावित बच्चे		02

3. विद्यालय विकास निधि (VVN):- इसके तहत पंजीकरण अंशदान केवल एक बार लिया जाना है। गत वर्षों से दाखिल विद्यार्थियों से किसी तरह का पंजीकरण अंशदान नहीं लिया जाएगा। विद्यालय विकास निधि का कक्षावार मासिक अंशदान निम्नानुसार है:-

क्रमांक	विषय	राशि	कक्षा
1.	एक मुश्त पंजीकरण अंशदान (VVN) (One time admission contribution)	500/-	1 से 5
		1000/-	6 से 12
2.	मासिक अंशदान (VVN) (Monthly contribution)	200/-	1 से 3
		250/-	4 से 5
		300/-	6 से 8
		400/-	9 से 10
		500/-	11 से 12

नोट:- 1. विद्यालय में नए दाखिले हेतु ही एकमुश्त पंजीकरण अंशदान लिया जाना है।

2. पूर्व में जारी निर्देशानुसार एक लाख अस्सी हजार से कम वार्षिक आय वाले तथा दिव्यांग विद्यार्थियों से उपरोक्तानुसार विद्यालय विकास निधि नहीं ली जानी है।


- विद्यालय विकास निधि के खर्च के सन्दर्भ में:- विद्यालय विकास निधि का उपयोग विद्यालय के विकास हेतु किया जाना है। CBSE Affiliation के सन्दर्भ में किये जाने वाले खर्च SMC के माध्यम से करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- विभाग के पत्र क्रमांक KW 20/1-2016 ACD (4) दिनांक 21.03.2024 के मध्यनजर विद्यालयों को दोहरी पारी में चलाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
- विद्यालयों में विद्यार्थियों को कक्षा कक्षा में ही बिठाया जाना है, One Classroom One Teacher व्यवस्था लागू की जानी है। अतः छात्र अध्यापक अनुपात के अनुसार ही कमरे निर्धारित किये जाएं।
- प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 'बालवाटिका कक्षा' को आरम्भ करना अनिवार्य है, इसके लिए नामांकन किया जाए। बालवाटिका में अभी फीस नहीं ली जानी है। बालवाटिका में बच्चों के सैक्शन की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, अतः इस कक्षा में ज्यादा से ज्यादा नामांकन किया जाए।
- आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

- जन्म का प्रमाणपत्र - अस्पताल/दाई का रजिस्टर अभिलेख, आंगनवाड़ी अभिलेख, माता-पिता अथवा सरक्षक का आयु के लिए शपथ पत्र।

- ii. रिहायश का प्रमाण पत्र – आधार कार्ड/परिवार पहचान पत्र।
- iii. आवेदन का फार्म – विभाग द्वारा पहले से ही तैयार किये गए आवेदन फार्म पर ही भरना होगा। यह आवेदन फार्म स्कूल द्वारा माता-पिता/अभिभावकों को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा।
- iv. किसी भी बच्चे को दस्तावेज के अभाव में दाखिले से वंचित नहीं किया जाएगा। बच्चे/अभिभावक को अस्थाई दाखिला देकर 30 दिन का समय प्रदान किया जाएगा।
- v. यदि आरक्षित सीटों के लिए समुचित संख्या में आवेदन नहीं आते हैं तो इन सीटों को सामान्य श्रेणी से भरा जाएगा।
9. आवेदन के लिए तिथियां (राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक तथा राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय):-

क्रं.	विवरण	तिथियां
1.	दाखिला प्रक्रिया आरम्भ	23.03.2024 से आरम्भ हो चुकी है
2.	विद्यालय मुखिया द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि	01 अप्रैल, 2024 से 10 अप्रैल, 2024
3.	माता-पिता/अभिभावकों द्वारा आवेदन जमा करवाने की तिथि	01 अप्रैल, 2024 से 10 अप्रैल, 2024
4.	ड्रा की तिथि	12 अप्रैल, 2024
5.	प्रतीक्षा सूची का दाखिला	18 अप्रैल, 2024

नोट:- सीटें खाली रहने की अवस्था में दाखिले का दूसरा दौर 19 अप्रैल से आरम्भ किया जाना है।


सहायक निदेशक
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला

दिनांक, पंचकूला 04.04.2024

पृष्ठांकन क्रमांक सम:

- इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- वरिष्ठ सचिव, माननीया अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।
 - निजी सचिव, माननीय महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
 - निजी सहायक, माननीय निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
 - निजी सहायक, माननीया अतिरिक्त निदेशक (एम.एस.एस.)

— Sd —
सहायक निदेशक
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला